अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2018 (RCMS 2018/00212) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>01.05.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2018 को प्रस्तुत करके आठ बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल, भाग संख्या 80 के सम्बन्ध में कार्यों का निष्पादन जिस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में निष्पादित किया जाता है, उस बाबत सूचना तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3717 दिनांक 07.07. 2015 से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जवाब दिया है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 का उनके कार्यालय से सम्बन्ध है और ना ही भाग संख्या 80 के ओदश उनके कार्यालय से जारी हुए है जबकि तहसीलदार सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है, इसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1659-61 दिनांक 15.04.2015 से बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 के आदेश तहसीलदार (राजस्व) द्वारा जारी किये गये है व ड्यूटी तहसीलदार (राजस्व) के क्षेत्राधिकार में है की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. दोनों कथन विरोधाभासी है, जांच कर सही सूचना उपलब्ध करवाने बाबत व प्रमाणित प्रति।
4. उपरोक्त दोनों अधिकारी लोक सूचना अधिकारी है व सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही दोनों अधिकारीगण है व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है। जांच करवाकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अन्तर्गत शास्ती अधिरोपित करने बाबत सूचना।
5. उपरोक्त दोनों अधिकारी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी है। मिथ्या सूचना देने वाले सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही कर, सूचना कार्यवाही की देने बाबत।
6. उपरोक्त अधिकारीगण में दोषी अधिकारी पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत।
7. दोषी अधिकारी के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने बाबत सूचना व कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. आर.टी.आई. की धारा 19(8) ख के अन्तर्गत प्रार्थी को खर्चा हेतु हर्जाना दिलाये जाने की सूचना।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 19668 दिनांक 14.11.2018 से श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 से का प्रत्युतर निम्नानुसार है :

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्परूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदन को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के सम्बन्ध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना के संबंधत में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हित कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 01.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर